पत्रांक-FIN/5/2026-SEC-13-UDHD DEPT　　　　　　　　　　न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
(नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय)

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक-

विषयः- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (2020-25) के अन्तर्गत नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत Construction of Boundary Wall Around Ramachak Bairiya, Garbage Dumping हेतु राज्य योजना मद अन्तर्गत स्वीकृत राशि 499.22279 लाख (चार करोड़ निन्यानवे लाख बाईस हजार दो सौ उन्यासी रुपये) में से अवशेष राशि 101.72279 लाख (एक करोड़ एक लाख बहत्तर हजार दो सौ उन्यासी रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः- स्वीकृत।

नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत Construction of Boundary Wall Around Ramachak Bairiya, Garbage Dumping के निर्माण हेतु योजना की प्राक्कलित राशि रु० 499.22279 लाख (चार करोड़ निन्यानवे लाख बाईस हजार दो सौ उन्यासी रु०) मात्र है । स्वीकृत्यादेश संख्या-80 दिनांक-26.05.2023 द्वारा उक्त योजना पर राशि रु० 499.22279 लाख (चार करोड़ निन्यानवे लाख बाईस हजार दो सौ उन्यासी रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त स्वीकृत्यादेश संख्या के द्वारा राशि रु० 300.00 लाख (तीन करोड़ रु०) मात्र एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-259 दिनांक-08.09.2025 के द्वारा राशि रु० 97.50000 लाख (संतानवे लाख पचास हजार रु०) मात्र आवंटित की गई थी। शेष राशि रु०101.72279 लाख (एक करोड़ एक लाख बहत्तर हजार दो सौ उन्यासी रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. राशि का व्यय ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन-सात निश्चय-2 योजना मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	नगर निगम, पटना का पत्रांक/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित कुल राशि	आवंटन हेतु शेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

1.	नगर निगम, पटना	नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत Construction of Boundary Wall Around Ramachak Bairiya, Garbage Dumping	3068/ 13.02.2026	499.22279	397.50	101.72279	0.00

अर्थात् आवंटन हेतु स्वीकृत कुल राशि रु० 101.72279 लाख (एक करोड़ एक लाख बहत्तर हजार दो सौ उन्यासी रु०) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत राशि रु० 101.72279 लाख (एक करोड़ एक लाख बहत्तर हजार दो सौ उन्यासी रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर निगम, पटना के PL खाता संख्या-PTCPLA021 तथा HOA-00-8448-00-102-0001-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. बिहार कोषागार संहिता के नियम-286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496/वि(2), दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-61, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त स्वीकृत राशि **रु० 101.72279 लाख (एक करोड़ एक लाख बहत्तर हजार दो सौ उन्यासी रु०) मात्र** की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0104-ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन-सात निश्चय-2, विपत्र कोड-**48-2215027890104**, विषय शीर्ष-0104-31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन से की जायेगी।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

8. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(i) **योजना का भुगतान किये गये कार्य के विरुद्ध वास्तविक व्यय के आधार पर तथा मापी पुस्त के आधार पर किया जायेगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, पटना एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निदेशन समय-समय पर किया जायेगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना आश्वस्त हो लेंगे कि योजना की डुप्लीकेसी किसी स्तर पर ना हो।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-13/न०वि०/SBM-01/2025 के पृष्ठ सं०-21/टि०(e-संचिका- FIN/5/2026-SEC-13-UDHD DEPT के Migrated Note के पृष्ठ सं०-21/टि०) पर दिनांक-29.04.2026 को एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन e-संचिका- FIN/5/2026-SEC-13-UDHD DEPT के Note # 13 पर दिनांक-29.05.2026 को प्राप्त है। भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- FIN/5/2026-SEC-13-UDHD DEPT 41 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 02/6/26

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-निदेशक के आशुलिपिक/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 03 एवं 04/लेखा शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव ।